

**साहेबगंज समाहरणालय**  
**जिला भू-अर्जन शाखा, साहेबगंज**  
**समाहर्ता या समुचित सरकार**  
**प्रारंभिक अधिसूचना**  
**(अधिनियम-30/2013 की धारा-11(1) के अधीन)**

संख्या-डी0एल0ए0 साहेबगंज 12 / 2018-19 / 232 / भू0अ0, दिनांक- 04-04-18

चूंकि झारखण्ड सरकार/समाहर्ता, साहेबगंज को यह प्रतीत होता है कि ग्राम-मदनशाही टपुआ, थाना- , थाना सं0- , अंचल-साहेबगंज, जिला-साहेबगंज में भूमि सार्वजनिक प्रयोजन, यथा परियोजना नमामि गंगे परियोजना अन्तर्गत एन0पी0सी0सी0 द्वारा श्मसान घाट एवं मनिहारी फेरी घाट निर्माण परियोजना हेतु अपेक्षित है। प्रभावित परिवारों के पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन के प्रयोजनार्थ अपर समाहर्ता अथवा नियम 2(1)(ख) के तहत नियुक्त पदाधिकारी प्रशासक के रूप में नियुक्त किए गए हैं। अतएव अधिसूचित किया जाता है कि ग्राम-मदनशाही टपुआ, थाना- , थाना सं0- , अंचल-साहेबगंज में उपर्युक्त कथित परियोजना के लिए कमोवेश **1.3600** एकड़ यानि ----- हेक्टेयर मानक माप का भूखंड, जिसका विस्तृत विवरण निम्नलिखित है, अर्जनाधीन है।

क्रम सं0	खाता सं0	सर्वे भूखंड सं0	स्वामित्व का प्रकार	भूमि का प्रकार	अर्जन के अधीन क्षेत्रफल (एकड़ में)	हितबद्ध व्यक्ति का नाम व पता	सीमा (भूखंड सं0)			
							उ0	द0	पू0	प0
1	434	161 अंश, 162 अंश, 172 अंश, 174 अंश, एवं 175 अंश	रैयती	—	0.3125	सुषमा राय	गंगा नदी	सड़क एवं 172 (अंश)	171,1 72,17 5 (अंश)	161,1 62,17 1,172 ,174 (अंश)
2	466	161 अंश, 162 अंश, 172 अंश, 174 अंश, एवं 175 अंश	रैयती	—	0.7986	धर्मचंद गोप	गंगा नदी	सड़क एवं 172 (अंश)	171,1 72,17 5 (अंश)	161,1 62,17 1,172 ,174 (अंश)
3	421	161 अंश, 162 अंश, 172 अंश, 174 अंश, एवं 175 अंश	रैयती	—	0.2489	(मौजा पुरानी साहेबगंज)- धर्मदेव सिंह	गंगा नदी	सड़क एवं 172 (अंश)	171,1 72,17 5 (अंश)	161,1 62,17 1,172 ,174 (अंश)
<b>कुल रकवा-</b>					<b>1.3600</b>					

अधिसूचना भू-अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर एवं पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 (अधिनियम संख्या-30/2013), की धारा-11(1) के उपबंधों के अधीन सभी संबंधित व्यक्तियों के लिए जारी की जाती है।

भूमि की योजना का निरीक्षण जिला भू-अर्जन पदाधिकारी, साहेबगंज के कार्यालय में किसी कार्य दिवस को कार्यावधि में किया जा सकेगा। झारखण्ड सरकार/समाहर्ता -सह- समुचित सरकार उक्त अधिनियम

की धारा 12 में यथाउपबंधित एवं यथाविनिर्दिष्ट कार्यों के समुचित निष्पादन हेतु अपेक्षित किसी भूमि का सर्वेक्षण एवं उसकी प्रविष्टि करने, किसी स्तर को मापने के लिए, अवभूमि खोदने या भू-वेधन-छिद्र करने सहित सभी अन्य कार्यों के संचालन करने हेतु जिला भू-अर्जन पदाधिकारी, साहेबगंज और उनके कर्मचारियों ..... को प्राधिकृत करती है।

अधिनियम की धारा 11(4) के अधीन कोई व्यक्ति जिला समाहर्ता के पूर्विक अनुमोदन के बिना अधिसूचना के प्रकाशन की तिथि से प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई अंतरण यथा क्रय/विक्रय नहीं करेगा या ऐसा कोई अंतरण नहीं करवाएगा या ऐसी भूमि पर कोई अवभार नहीं उत्पन्न करेगा। अधिनियम की धारा 15 के अधीन यथाउपबंधित इस अधिसूचना के प्रकाशन की तिथि से साठ (60) दिनों के अन्तर्गत भू-अर्जन की बाबत किसी प्रकार की आपत्तियां हितबद्ध व्यक्ति द्वारा जिला भू-अर्जन पदाधिकारी, साहेबगंज के समक्ष दर्ज की जा सकेगी।

104/04/13  
उपायुक्त,  
साहेबगंज।

सहेबगंज समाहरणालय  
जिला भू-अर्जन शाखा, साहेबगंज  
समाहर्ता या समुचित सरकार  
प्रारंभिक अधिसूचना

(अधिनियम-30/2013 की धारा-11(1) के अधीन)

संख्या-डी0एल0ए0 साहेबगंज 13 / 2013-14 / 233 / भू0अ0, दिनांक- 04.04.18.

चूंकि झारखण्ड सरकार/समाहर्ता, साहेबगंज को यह प्रतीत होता है कि ग्राम-मदनशाही टपुआ, थाना- , थाना सं0- , अंचल-साहेबगंज, जिला-साहेबगंज में भूमि सार्वजनिक प्रयोजन, यथा परियोजना नमामि गंगे परियोजना अन्तर्गत एन0पी0सी0सी0 द्वारा बिजली घाट निर्माण परियोजना हेतु अपेक्षित है। प्रभावित परिवारों के पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन के प्रयोजनार्थ अपर समाहर्ता अथवा नियम 2(1)(ख) के तहत नियुक्त पदाधिकारी प्रशासक के रूप में नियुक्त किए गए हैं। अतएव अधिसूचित किया जाता है कि ग्राम-मदनशाही टपुआ थाना- , थाना सं0- , अंचल-साहेबगंज में उपर्युक्त कथित परियोजना के लिए कमोवेश 0.8150 एकड़ यानि ----- हेक्टेयर मानक माप का भूखंड, जिसका विस्तृत विवरण निम्नलिखित है, अर्जनाधीन है।

क्रम सं0	खाता सं0	सर्वे भूखंड सं0	स्वामित्व का प्रकार	भूमि का प्रकार	अर्जन के अधीन क्षेत्रफल (एकड़ में)	हितबद्ध व्यक्ति का नाम व पता	सीमा (भूखंड सं0)			
							उ0	द0	पू0	प0
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	434	162 अंश, 172 अंश, 173 अंश, एवं 174 अंश	रैयती	बाड़ी	0.6095	ओम प्रकाश राय, पिता-स्व0 शारदा प्रसाद राय	गंगा नदी	171	162,1 72,17 3,174 (अंश)	162,1 73,17 4 (अंश)
2	434/ 1250	162 अंश, 172 अंश, 173 अंश, एवं 174 अंश	रैयती	बाड़ी	0.2055	उमेश यादव पिता-गोपाल यादव	गंगा नदी	171	162,1 72,17 3,174 (अंश)	162,1 73,17 4 (अंश)
<b>कुल रकवा-</b>					<b>0.8150</b>					

अधिसूचना भू-अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर एवं पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 (अधिनियम संख्या-30/2013), की धारा-11(1) के उपबंधों के अधीन सभी संबंधित व्यक्तियों के लिए जारी की जाती है।

भूमि की योजना का निरीक्षण जिला भू-अर्जन पदाधिकारी, साहेबगंज के कार्यालय में किसी कार्य दिवस को कार्यावधि में किया जा सकेगा। झारखण्ड सरकार/समाहर्ता -सह- समुचित सरकार उक्त अधिनियम की धारा 12 में यथाउपबंधित एवं यथाविनिर्दिष्ट कार्यों के समुचित निष्पादन हेतु अपेक्षित किसी भूमि का सर्वेक्षण एवं उसकी प्रविष्टि करने, किसी स्तर को मापने के लिए, अवभूमि खोदने या भू-वेधन-छिद्र करने सहित सभी

अन्य कार्यों के संचालन करने हेतु जिला भू-अर्जन पदाधिकारी, साहेबगंज और उनके कर्मचारियों ..... को प्राधिकृत करती है।

अधिनियम की धारा 11(4) के अधीन कोई व्यक्ति जिला समाहर्ता के पूर्विक अनुमोदन के बिना अधिसूचना के प्रकाशन की तिथि से प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई अंतरण यथा क्रय/विक्रय नहीं करेगा या ऐसा कोई अंतरण नहीं करवाएगा या ऐसी भूमि पर कोई अवभार नहीं उत्पन्न करेगा। अधिनियम की धारा 15 के अधीन यथाउपबंधित इस अधिसूचना के प्रकाशन की तिथि से साठ (60) दिनों के अन्तर्गत भू-अर्जन की बाबत किसी प्रकार की आपत्तियां हितबद्ध व्यक्ति द्वारा जिला भू-अर्जन पदाधिकारी, साहेबगंज के समक्ष दर्ज की जा सकेगी।

20/04/18  
उपायुक्त,  
साहेबगंज।